न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कनवास जिला कोटा (राज.)

ब इजलास कमल कुमार मीना (R.A.S.)

मुकदमा नं. 25 /18 दावा निर्णय दिनांक 25.07.18

कैलाशबाई उम्र 61 वर्ष पत्नी परमानंद जाति धाकड निवासी ग्राम रूपाहेडा तहसील कनवास।
वादी

बनाम

1. परमानंद पुत्र मांगीलाल जाति धाकड निवासी रूपाहेडा तहसील कनवास।

--प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.एक्ट

उपस्थित – वादी की ओर से एडवोकेट श्री अशोक कुमार जैन।
प्रतिवादी की ओर से एडवोकेट श्री त्रिलोक विजय।

निर्णय

दिनांक 25.07.2018

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि वादी द्वारा जर्ये एडवोकेट वाद पत्र अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 88,89,188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम रूपाहेडा तहसील कनवास में स्थित खसरा नंबर 151 की 0.01 है0, खसरा नंबर 152 की 0.82 है0, खसरा नंबर 153 की 0.19 है0, खसरा नंबर 259 की 0.09 है0, खसरा नंबर 261 की 0.13 है0, खसरा नंबर 340 की 0.75 हे0, खसरा नंबर 341 की 1.16 है0, खसरा नंबर 486 की 1.11 हे0, खसरा नबंर 488 की 1.02 है0, खसरा नंबर 507 की 1.13 है0, खसरा नंबर 582 की 0.01 है0, खसरा नंबर 583 की 0.94 है0, इस प्रकार कुल किता 12 की कुल 7.36 है0, कृषि भूमि स्थित है, जो कि राजस्व रेकार्ड में घींसी पुत्र कान्हा पत्नी मांगीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम रूपाहेडा के नाम से दर्ज रही है, उक्त कृषि भूमियों के अतिरिक्त ग्राम रूपाहेडा तहसील कनवास में ही खसरा नंबर 512 की 0.52 है0, व खसरा नंबर 514 की 0.34 है0, इस प्रकार कुल 02 किता की 0.86 है0, कृषि भूमि स्थित है, जो कि राजस्व रेकार्ड में घींसी पुत्री कान्हा जाति धाकड निवासी रूपाहेडा तहसील कनवास के नाम से दर्ज रही है। उक्त समस्त कृषि भूमियों की खातेदारी घींसीबाई को उनके स्वर्गवासी पिता श्री कान्हा की मृत्यु उपरान्त प्राप्त हुई है, उक्त कृषि भूमियों खातेदार घींसीबाई की स्वअर्जित कृषि भूमियॉ रही है, श्रीमती घींसीबाई का स्वर्गवास हाल ही में कुछ समय पूर्व हो चुका है।

यह कि स्व0 घीसीबाई के एक पुत्र प्रतिवादी है, जिसकी वजह से घींसीबाई उनके जीवनकाल में काफी परेशान रहा करती थी, उनकी सम्पत्ति प्रतिवादी के हाथों में न चली जावे, इस उद्वेश्य से स्व0 घींसीबाई ने उनके खाते की ग्राम रूपाहेडा तहसील कनवास में स्थित कृषि भूमियों में से खसरा नबंर 340 की 0.75 हे0, व खसरा नबंर 341 की 1.16 है0, कृषि भूमि को उसकी सेवाओं से प्रसन्न होकर पंजीकृत वसीयत दिनांक 03.02.2014 के द्वारा प्रतिवादी की पत्नी कैलाशबाई पत्नी परमानंद जाति घाकड निवासी रूपाहेडा तहसील कनवास को दे दिया था, उक्त वसीयत नामा स्वयं घींसीबाई द्वारा स्वतन्त्र सहमति व स्वस्थ चित्त बुद्वि बगैर नशे पते व बगैर किसी दबाव के गवाहान के समक्ष तहसील कनवास में उपस्थित होकर करवाया गया था, उक्त वसीयत नामे के अनुसार वादीनी घींसीबाई के स्वर्गवास के उपरान्त उक्त खसरा नबंर 340 व 341 की खातेदार

उप खण्ड अधिकारी

कृषक हो चुकी है, वादीनी मुताबिक वसीयत उक्त भूमि में बतौर खातेदार शांति पूर्वक उपयोग व उपभोग में है, जिसमें प्रतिवादी अथवा अन्य किसी भी व्यक्ति का कभी भी हस्तक्षेप नंही रहा है।

हाल में ही में श्रीमती घींसीबाई पुत्री कान्हा का स्वर्गवास हो चुका है, श्रीमती घींसीबाई के स्वर्गवास के उपरान्त वादीनी ने अपने पुत्र के साथ हल्का पटवारी से घींसीबाई की वसीयत दिनांक 03.02.2014 के आधार पर राजस्व खाते में नाम दर्ज करवाने के लिए सम्पर्क किया तो वादीनी की जानकारी में आया कि घींसीबाई की उक्त खसरा नंबर की भूमि में प्रंतिवादी का नाम बगैर किसी अधिकार के दर्ज कर दिया गया है, वादीनी ने हल्का पटवारी से कहा कि मेरे पास स्व0 घींसीबाई की पंजकीकृत वसीयत है, आप उक्त भूमि में प्रतिवादी का नाम कैसे दर्ज कर सकते हो, इस पर हल्का पटवारी जी ने कहा कि मै आपको कुछ भी कहने की स्थिति में नंही हूं, आप चाहे, जो कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र हो, हल्का पटवारी जी के कथन से वादीनी को यह विश्वास हो गया हे ,कि प्रतिवादी ने राजस्व कर्मचारियों के सहयोग से उक्त भूमि को राजस्व रेकार्ड में स्वयं के नाम दर्ज करवा लिया है, व वादीनी को यह अन्देशा है, है कि प्रतिवादी राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज होने का लाभ उठाकर कृषि भूमि को खुर्द–बुर्द भी कर सकता है, इसलिए वादीनी के लिए यह आवश्यक हो गया है ,कि वह प्रतिवादी के विरूद्व सम्मानीय न्यायालय खातेदारी घोषणा, इन्द्राज दुरस्ती, स्थाई निषेधाज्ञा की सहायताए चाहने के लिए वाद प्रस्तुत करें, यही उक्त वाद की विषयवस्तु है।

वादी द्वारा पुनः अपने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वादीनी का वाद विरूद्व प्रतिवादी स्वीकार किया जाकर वादीनी को स्व0 घींसी पुत्री कान्हा द्वारा निष्पादित पंजीकृत वसीयत दिनांक 03.02.2014 में वर्णित ग्राम रूपाहेडा तहसील कनवास में स्थित कृषि भूमियों में से खसरा नंबर 340 की 0.75 है0, व खसरा नबंर 341 की 1.16 है0, इस प्रकार कुल खसरा किता 02 की रकबा 1.91 है0, कृषि भूमि का खातेदार कृषक घोषित किया जावे।

यह कि उक्त घोषणा के अनुक्रम में राजस्व रेकार्ड में उक्त भूमि को प्रतिवादी का नाम हटाते हुये वादीनी के नाम दर्ज किया जावे, व उक्त अनुसार इन्द्राज दुरस्त किया जावे।

यह कि वादीनी के पक्ष में प्रतिवादी के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा प्रदान की जावे, कि वह राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज होने का लाभ उठाकर ग्राम रूपाहेडा तहसील कनवास में स्थित कृषि भूमियों में से खसरा नंबर 340 की रकबा 0.75 है0, व खसरा नबंर 341 की 1.16 है0, कृषि भूमि को किसी प्रकार से हस्तान्तरण, खुर्द बुर्द करने का प्रयास नंही करें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी की तलवी की गई, प्रतिवादी द्वारा दिनांक 25.07.2018 को जवाब दावा प्रस्तुत किया। वादी एवं प्रतिवादी द्वारा दिनांक 25.07.2018 को ही लोक अदालत की भावना व आपसी सहमति से राजीनामा प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत राजीनामें में दोनों पक्षकारों द्वारा निवेदन किया कि प्रतिवादी को स्व0 घीसीबाई पुत्र कान्हा द्वारा दिनांक 03.02.2004 को वादनी के पक्ष में करवाई गई वसीयत के आधार पर माल ग्राम रूपाहेडा तहसील कनवास में स्थित खसरा नंबर 340 की 0.75 है0, खसरा नंबर 341 की 1.16 है0, कृषि भूमि को वादीनी के खाते में दर्ज किये जाने में कोई आपत्ति नंही है। तथा मुताबिक राजीनामा वादीनी का वाद डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति नंही है। राजीनामा दोनो पक्षकारों को पढकर सुनाया गया , दोनों पक्षकारों द्वारा मेरे समक्ष राजीनामा सुना एवं सुनकर मुताबिक राजीनामा दावा डिक्री किया जाना स्वीकार किया। वादी की पहचान हेतु आधार कार्ड का सत्यापन किया गया एवं वादी वकील द्वारा वादी की पहचान सत्यापित कि गई। वकील प्रतिवादी द्वारा प्रतिवादी का सत्यापन किया गया। राजीनामा बाद तस्दीक कर शामिल पत्रावली किया गया।

उप खण्ड अधिकारी

हमारे द्वारा वाद पत्र में अंकित तथ्यों, संलग्न दस्तावेजों एव पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामें का अवलोकन किया गया जिससे हम इस निष्कार्श पर पहुंचते हैं कि ग्राम रूपाहेडा तहसील कनवास में स्थित खसरा नंबर 340 की 0.75 है0, व खसरा नबंर 341 की 1.16 है0, कुल खसरा किता 02 की रकबा 1.91 है0, कृषि भूमि को वादीनी के खाते में दर्ज किये जाने में कोई आपत्ति नंही है। एवं दावा मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाना उचित समझते हैं।

आदेश

अतः वादी का वाद मुताबिक राजीनामा स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि ग्राम रूपाहेडा तहसील कनवास में स्थित खसरा नंबर 340 की 0.75 है, व खसरा नबंर 341 की 1.16 हे0, कुल खसरा किता 02 की रकबा 1.91 हे0, कृषि भूमि पर से प्रतिवादी परमानंद का नाम हटाया जाकर वादनी कैलाशाबाई को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। तद्नुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.07.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कमल कुमार मीना
(आर.ए.एस)
उप खण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा

अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास** **जिला कोटा** मुकाम **कनवास**

ब इजलास कमल कुमार मीना (R.A.S.)

मुकदमा नं. 27/18 दावा **निर्णय दिनांक 25.07.2018**

कैलाशबाई उम्र 61 वर्ष पत्नी परमानंद जाति धाकड निवासी रूपाहेडा तहसील कनवास।

वादी

बनाम

1. परमानंद पुत्र मांगीलाल जाति धाकड निवासी रूपाहेडा तहसील कनवास।

–प्रतिवादी

दावा बाबत अर्न्तगत धारा 88,89,188 आर.टी. एक्ट

मुकदमा नं. **25 /2018** सन **2018** तारीख फैसला **25.07.2018** **न्यायालय ब इजलास कमल कुमार मीना R.A.S. उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट कनवास जिला कोटा** यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू **उपखण्ड अधिकारी कनवास** ब हाजरी **वादी की ओर से एडवोकेट अशोक कुमार जैन** मिनजानिब मुदई व **प्रतिवादी की ओर से एडवोकेट श्री त्रिलोक विजय** मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जारी की जाती है वादी एवं प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के आधार पर ग्राम रूपाहेडा तहसील कनवास में स्थित खसरा नंबर 340 की 0.75 है0, व खसरा नबंर 341 की 1.16 है0, कुल किता 02 की रकबा 1.91 है, कृषि भूमि पर से प्रतिवादी परमानंद का नाम हटाया जाकर वादनी कैलाशबाई को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। **तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है।** नीज ... X ...मुबलिग .... X ... बाबत ... X ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... X ...फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... X ..को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख **25.07.2018** को जारी की गई।

मोहर .....

कमल कुमार मीना

(आर.ए.एस)

उप खण्ड अधिकारी

कनवास जिला कोटा

मुदई	रूपया	पै.	मुदायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा ,,,,	NIL		स्टाम्प वकालतनामा ,,,,	NIL	
स्टाम्प वकालतनामा ,,,			स्टाम्प अर्जी ,,,,		
स्टाम्प वजह सबूत ,,,,			महनताना वकील ,,,,		
महनताना वकील ,,,,			खर्चा गवाहान ,,,,		
खर्चा गवाहान ,,,,			फीस कमिश्नर ,,,,		
फीस कमिश्नर ,,,,			बाबत इजराय हुकमनामा ,,,,		
बाबत इजराय हुकमनामा ,,,,			मुतफर्रिक ,,,,		
मुतफर्रिक ,,,,			मीजान ,,,,		
मीजान ,,,,					

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नहीं। दर्ज करना चाहिये।

कमल कुमार मीना
(आर.ए.एस)
उप खण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा